



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2293]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 2012/अग्रहायण 2, 1934

No. 2293]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 2012/AGRAHAYANA 2, 1934

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2776(अ).—रासायनिक आयुध अभिसमय (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 के 36) की धारा 1 की उप-धारा (2) में प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए वर्ष 2012 की नवम्बर 23 तारीख को नियुक्त करती है।

[फा. सं. सी-1. 40014/1/2011-अ.स. (बीबी)]

डॉ. ए.जे.वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2776(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Chemical Weapons Convention (Amendment) Act, 2012 (36 of 2012), the Central Government hereby appoints the 23rd day of November, 2012 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. C-1. 40014/1/2011-US (BB)]

Dr. A.J.V. PRASAD, Jt. Secy.